

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक: जी-1/99/ 1328-32

दिनांक: 27/8/99

विषय: माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता।

गीता पब्लिक स्कूल मच्छगर

को

1-4-99

से उनी से अपनी जमा (प्रिन्सिपल विभाग) तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा के किसी भी पद की रिक्ति तथा विदर्भिय स्थायता की प्राप्ति नहीं करेगी तथा अपने ही में पर पूर्ण भवती।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक सोजगर कार्यालय के माध्यम से रसे जाएंगे।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मास के वेतन के हरावर की राशी जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्रोजेड कराये। यदि राशी प्रोजेड न कराई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
4. वेतन का भुगतान के चेक द्वारा किया जाये।
5. सभी अध्यापकों की सी0पी0स्फा की राशी स्थानीय बैंक में जमा कराई जाये।
6. संस्था की धारा 214-219 के अन्तर्गत सभी स्कुलेशन कोड शर्तों को पूरा करना होगा यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
7. सी0डब्ल्यू0स्फा रेकॉर्ड तथा ट्पो0र्ट फंड की राशी का प्रेशर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अन्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा।
8. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं प्रैशेणक कार्य को किसी भी समय चेक कर सकता है।

9. प्रिन्सिपल कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भवन अत्यादि नाम अनुसार पूर्ण मान्यता होगी।  
Geeta Public School  
Machhgar, (Faridabad)

(*Chaitanya*)  
जिला शिक्षा अधिकारी  
फरीदाबाद

पृष्ठ क्रमांक: सम

दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु *Manager* प्रेषित है।

1. निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।
2. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी पलवल/फरीदाबाद।
3. सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया।
4. सी0स्फाई0 मिशनी।

**Geeta Public School  
Machhgar (Faridabad)**

*Chaitanya*  
27.8.99  
जिला शिक्षा अधिकारी